

पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कैथल में आयोजित पेंशन बहाली संघर्ष समिति की एक बैठक के दौरान [पुरानी पेंशन योजना \(OPS\)](#) की बहाली की मांग को लेकर 1 सितंबर 2024 को पंचकूला में एक व्यापक प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया।

मुख्य बिंदु

- उक्त प्रदर्शन से पूर्व समिति ने 1 जुलाई 2024 से राज्य के प्रत्येक ज़िले में “OPS संकल्प सम्मेलन और आक्रोश मार्च” आयोजित करने का निर्णय लिया है।
- पुरानी पेंशन योजना:
 - यह योजना सेवानिवृत्त के पश्चात व्यक्ति को आजीवन आय की गारंटी प्रदान करती है।
 - पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत, कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित फार्मूले के अनुसार पेंशन मिलती थी जो अंतिम आहरित वेतन का आधा (50%) होता है तथा उन्हें वर्ष में दो बार महंगाई राहत (Dearness Relief) में संशोधन का भी लाभ मिलता था। इसके अंतर्गत भुगतान निर्धारित था और वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती थी। इसके अतिरिक्त OPS के अंतर्गत सामान्य भविष्य नधि (General Provident Fund-GPF) का भी प्रावधान था।
 - GPF भारत में केवल सभी सरकारी कर्मचारियों के लिये उपलब्ध है। मूल रूप से यह सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत GPF में योगदान करने की अनुमति देता है। साथ ही कुल राशि जो रोजगार की अवधि के दौरान जमा होती है, सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को भुगतान की जाती है।
 - पेंशन पर होने वाले खर्च का वहन सरकार द्वारा किया जाता था। यह योजना वर्ष 2004 में बंद कर दी गई थी।